

कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय
मांग संख्या 2
कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2018-2019			बजट 2019-2020			संशोधित 2019-2020			बजट 2020-2021		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	7943.58	...	7943.58	8078.76	...	8078.76	7846.17	...	7846.17	8362.58	...	8362.58
वसूलियां	-399.33	...	-399.33
प्राप्तियां
निवल	7544.25	...	7544.25	8078.76	...	8078.76	7846.17	...	7846.17	8362.58	...	8362.58
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	12.89	...	12.89	14.80	...	14.80	13.18	...	13.18	13.85	...	13.85
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
2. कृषि विस्तार	205.53	...	205.53	221.15	...	221.15	221.15	...	221.15	242.50	...	242.50
3. कृषि इंजीनियरिंग	59.50	...	59.50	64.02	...	64.02	64.02	...	64.02	70.00	...	70.00
प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन												
4. कृषि-वानिकी अनुसंधान सहित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संस्थाएं	148.51	...	148.51	159.48	...	159.48	158.83	...	158.83	174.00	...	174.00
5. जलवायु प्रतिरोध क्षमता कृषि पहल	44.21	...	44.21	47.56	...	47.56	46.00	...	46.00	52.00	...	52.00
जोड़-प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन												
	192.72	...	192.72	207.04	...	207.04	204.83	...	204.83	226.00	...	226.00
फसल विज्ञान												
6. फसल विज्ञान	651.99	...	651.99	701.53	...	701.53	635.00	...	635.00	715.50	...	715.50
7. बागवानी विज्ञान	165.75	...	165.75	178.34	...	178.34	173.61	...	173.61	194.00	...	194.00
8. राष्ट्रीय कृषि विज्ञान निधि	50.75	...	50.75	54.60	...	54.60	50.00	...	50.00	55.00	...	55.00
जोड़-फसल विज्ञान												
	868.49	...	868.49	934.47	...	934.47	858.61	...	858.61	964.50	...	964.50
पशु विज्ञान												
9. पशु विज्ञान	288.98	...	288.98	310.98	...	310.98	310.00	...	310.00	330.00	...	330.00
10. मात्स्यिकी विज्ञान	132.34	...	132.34	142.39	...	142.39	142.39	...	142.39	156.00	...	156.00
जोड़-पशु विज्ञान												
	421.32	...	421.32	453.37	...	453.37	452.39	...	452.39	486.00	...	486.00
कृषि शिक्षा												
11. कृषि विश्वविद्यालय और संस्थाएं	525.59	...	525.59	565.51	...	565.51	450.00	...	450.00	480.00	...	480.00
12. आर्थिक सांख्यिकी और प्रबंधन	27.66	...	27.66	29.76	...	29.76	29.76	...	29.76	30.00	...	30.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2018-2019			बजट 2019-2020			संशोधित 2019-2020			बजट 2020-2021		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
13. राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा परियोजना	155.28	...	155.28
14. राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा परियोजना (ईएपी)	52.63	...	52.63	223.68	...	223.68	207.85	...	207.85	230.00	...	230.00
जोड़-कृषि शिक्षा	761.16	...	761.16	818.95	...	818.95	687.61	...	687.61	740.00	...	740.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	2508.72	...	2508.72	2699.00	...	2699.00	2488.61	...	2488.61	2729.00	...	2729.00
केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
15. आईसीएआर मुख्यालय	5056.09	...	5056.09	4868.80	...	4868.80	4868.80	...	4868.80	5137.75	...	5137.75
16. केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय	363.92	...	363.92	455.00	...	455.00	459.18	...	459.18	459.80	...	459.80
17. राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी	1.96	...	1.96	1.56	...	1.56	1.56	...	1.56	1.60	...	1.60
18. कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड	39.60	...	39.60	14.84	...	14.84	20.58	...	20.58
जोड़-स्वायत्त निकाय	5421.97	...	5421.97	5364.96	...	5364.96	5344.38	...	5344.38	5619.73	...	5619.73
अन्य												
19. वास्तविक वसूली	-399.33	...	-399.33
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	5022.64	...	5022.64	5364.96	...	5364.96	5344.38	...	5344.38	5619.73	...	5619.73
कुल जोड़	7544.25	...	7544.25	8078.76	...	8078.76	7846.17	...	7846.17	8362.58	...	8362.58
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. कृषि अनुसंधान और शिक्षा	7537.61	...	7537.61	7584.37	...	7584.37	7376.74	...	7376.74	7820.10	...	7820.10
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	6.64	...	6.64	7.95	...	7.95	6.78	...	6.78	7.55	...	7.55
जोड़-आर्थिक सेवाएं	7544.25	...	7544.25	7592.32	...	7592.32	7383.52	...	7383.52	7827.65	...	7827.65
अन्य												
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र	486.44	...	486.44	462.65	...	462.65	534.93	...	534.93
जोड़-अन्य	486.44	...	486.44	462.65	...	462.65	534.93	...	534.93
कुल जोड़	7544.25	...	7544.25	8078.76	...	8078.76	7846.17	...	7846.17	8362.58	...	8362.58

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान डेयर स्टाफ के वेतन पर खर्च हेतु है।

2. **कृषि विस्तार:** यह प्रावधान कृषि विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से किसानों के बुनियादी स्तर तक पहुंच बनाने के लिए क्रियाकलापों के लिए प्रावधान है जिससे अग्रपंक्ति कृषि तकनीकी का प्रचार और परिष्करण हो सके। इसमें स्थानीय प्रौद्योगिकी के संबंध में किसानों और विस्तार कार्मिकों का प्रशिक्षण, बीज तथा रोपण हेतु सामानों का वितरण और मृदा और जल के नमूनों की जांच शामिल हैं।

3. **कृषि इंजीनियरिंग:** यह प्रावधान कृषि यंत्रों, प्रक्रिया और मूल्य वर्धित प्रोटोकाल के अनुसंधान, विकास और परिष्करण के लिए प्रावधान है।

4. **कृषि-वित्तिकी अनुसंधान सहित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संस्थाएं:** प्रावधान निम्न कृषि उत्पाकता और लाभकारिता, भूमि निम्नीकरण, निम्न जल उत्पाककता, मृदा स्वास्थ्य निम्नीकरण और निम्न पोषण उपयोग क्षमता, पारितंत्र सेवाओं में निम्नीकरण, अजैविक दवाओं इत्यादि पर ध्यान देने हेतु अनुसंधान के लिए है। लंबे दौर में टिकाऊपन हेतु प्राकृतिक संसाधनों के आधार की कमी को दूर करने के लिए आवश्यक है।

5. **जलवायु प्रतिरोध क्षमता कृषि पहल:** यह प्रावधान भारतीय कृषि के जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन और जलवायु संवेदनशीलता में वृद्धि के लिए कार्यनीतिक अनुसंधान और तकनीकी प्रदर्शन के प्रचालन हेतु है। अनुकूलन और कमी के ऊपर अनुसंधान में फसल, पशुधन, मात्स्यिकी और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन शामिल हैं।

6. **फसल विज्ञान:** अनुसंधान- का प्रावधान विशेष-विशिष्ट अधिक पैदावार देनेवाली फील्ड फसल किस्मों / संकर किस्मों का विकास करने के लिए है जो विभिन्न अजैविक दबावों के अतिरिक्त नाशकजीवों और रोगों के प्रति सहिष्णुता के लिए। पैदावार की किसी हानि के बिना गुणवत्ता को भी उचित महत्वं दिया जाता है। राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के सक्रिय सहयोग से अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (एआईसीआरपी)/ नेटवर्क अनुसंधान परियोजनाएं विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों में उन्नत फसल किस्मों/ संकर किस्मों का विकास करने, कम लागत में उत्पादन करने और पर्यावरण अनुकूल सुरक्षा प्रौद्योगिकियों का विकास करने में कार्यरत हैं।

7. **बागवानी विज्ञान:** यह प्रावधान बागवानी आनुवंशिक संसाधनों को समृद्ध बनाने के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान देने, जैव और अजैव दबावों के प्रति प्रतिरोधक मैकेनिज्म के साथ नई उप-प्रजातियों का विकास करने, उपयुक्त उत्पादन प्रौद्योगिकी और बागवानी एवं सब्जी की फसलों की स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली का विकास करने के लिए है।

8. **राष्ट्रीय कृषि विज्ञान निधि:** प्राथमिकता-प्राप्त अनुसंधान समस्याओं का अल्पावधि में समाधान करने के लिए कृषि में मूलभूत और कार्यनीतिक अनुसंधान को सहायता दी जा रही है।

9. **पशु विज्ञान:** यह प्रावधान खाद्य और पोषाहार सुरक्षा के लिए पशुधन और कुक्कुट क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि, लाभप्रदता, प्रतिस्पर्धा और टिकाऊपन से सहायता हेतु नई प्रौद्योगिकियों का विकास करने के लिए है। इससे उत्पादकता में वृद्धि करने और उसके द्वारा संभाव्यता और वास्तविक उत्पादन के बीच अंतर को कम करने के लिए मौजूदा और नए उभर रहे क्षेत्रों में पशुधन और कुक्कुट क्षेत्र में आवश्यकता-आधारित प्राथमिकता प्राप्त अनुसंधान में सहायता मिलेगी।

10. **मात्स्यिकी विज्ञान:** यह प्रावधान मात्स्यिकी और एक्वाकल्चर में अनुसंधान एवं शैक्षिक कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए है। इसमें संसाधनों के मूल्यांकन और प्रबंधन के क्षेत्र में तकनीकी, प्रशिक्षण, विधेयपत्रात्मक, सलाहकारी सहायता और जलजीवपालन हैचरी और मात्स्यिकी प्रणाली के लिए उत्तरदायी विकास संवर्धन प्रौद्योगिकियों और जलजीवपालन के लिए अंत-स्थलीय लवणीय मुदाओं के प्रणाली और प्रजाति विविधीकरण और उपयोग, मत्स्य स्वास्थ्य मॉनीटरिंग करने आदि के लिए प्रावधान है।

11. **कृषि विश्वविद्यालय और संस्थाएं:** यह प्रावधान देश के सभी कृषि विश्वविद्यालयों जिनमें राज्य कृषि विश्वविद्यालय (एसएयू), मानद विश्वविद्यालय (डीयू) एवं कृषि संकाय के साथ केंद्रीय विश्वविद्यालय (सीयू) सम्मिलित हैं, को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। यह योजना i) शैक्षणिक संस्थावनों के प्रत्यायन, ii) पूर्व स्नातक एवं स्नातकोत्तर दोनों स्तरों पर अंतर्राष्ट्रीय / राष्ट्रीय छात्रवृत्तियां उपलब्ध कराने तथा iii) अत्याधुनिक क्षेत्रों में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली के वैज्ञानिकों/ संकाय के लिए प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के आयोजन के जरिये कृषि शिक्षा के मानदंड को बनाये रखने एवं उसमें सुधार लाने के लिए भी जिम्मेदार है।

12. **आर्थिक सांख्यिकी और प्रबंधन:** प्रावधान कृषि आर्थिकी एवं कृषि सांख्यिकी के क्षेत्रों में नीति, प्रबंधन एवं डाटाबेस मुद्दों के समाधान के लिए अनुसंधान करने और उसी के अनुरूप अन्य योजनाओं तथा कृषि हितधारकों को आवश्यकता आधारित सहायता उपलब्ध कराने के लिए है।

14. **राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा परियोजना (ईएपी):** यह प्रावधान राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना केवाह्य सहायता प्राप्त घटक लिए है। परियोजना का उद्देश्य बुनियादी ढांचे, शिक्षकों और छात्र उन्नति के समर्थन के लिए संसाधनों और तंत्र का विकास करना है, और कृषि विश्वविद्यालयों के बेहतर प्रशासन और प्रबंधन के लिए साधन उपलब्ध कराना है, ताकि वर्तमान कृषि शिक्षा व्यवस्था के मानक को ऊंचा उठाने के लिए एक समग्र माडल विकसित किया जा सके जो अधिक रोजगार प्रदान करता हो, उद्यमिता उन्मुख हो और वैश्विक कृषि शिक्षा मानकों पर सममूल्य हो।

15. **आईसीएआर मुख्यालय:** यह प्रावधान मुख्य रूप से वेतन, पेंशन एवं भाकृअप के तहत विभिन्न योजनाओं को प्रशासनिक एवं लॉजिस्टिक्स सहायता पर व्ययों के लिए है जिससे कि उन्हें प्रभावी तरीके से कार्यान्वित किया जा सके।

16. **केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय:** यह प्रावधान वर्तमान में ब्याप्त कृषि-जलवायु स्थिति पर आधारित क्षेत्रीय शिक्षा, अनुसंधान एवं विस्तार क्षमताओं को मजबूत बनाने के लिए है।

17. **राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी:** प्रावधान कृषि अनुसंधान, शिक्षा एवं विस्तार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार करने के लिए और वैज्ञानिक समुदाय के विचारों को विभिन्न स्तरों पर योजना निर्माताओं, नीति निर्धारकों/सलाहकारों को नीतिगत इनपुट के रूप में प्रस्तुत करने कृषि वैज्ञानिकों को एक फोरम उपलब्ध कराने के लिए है।

18. **कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड:** प्रावधान एक पृथक स्वायत्त निकाय के निर्माण के लिए है जो आईसीएआर के कृषि अनुसंधान सेवा (एआरएस) और आईसीएआर के अन्य ग्रुप ए पदों में भर्ती के लिए उत्तरदायी होगा।